

“मराठवाड़ा” के सम्पादक ने अप्रैल, 1990 में केन्द्रीय सरकार को भेजे गये अपने पत्रों में शिकायत की है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया का पश्चिम विभागीय क्रीड़ा काम्प्लेक्स केन्द्र, जिसके लिये 1987 में मंजूरी दी गई थी और जिसके लिये हाल ही में एक निदेशक नाम-निर्देशित किया गया है और जिसके लिये मराठवाड़ा विद्यापीठ ने 100 एकड़ जमीन दी है, धनराशि के अभाव में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस केन्द्र द्वारा भेजी से कार्य करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :
(क) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के पश्चिम क्षेत्र उपकेन्द्र में विकास के बारे में “मराठवाड़ा” दैनिक के सम्पादक को 21 मई, 1990 का पत्र तथा कुछ जिला खेल एसोसिएशनों और ग्रन्थ से भी ऐसी ही सूचना प्राप्त हुई है ।

मैदान की दीवार और आंतरिक सड़कों पर पहले ही 2740 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं । इसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15 लाख रुपये का योगदान शामिल है ।

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इस केन्द्र के विकास के लिए 2.00 करोड़ रुपये के अपने बड़े में से 15.00 लाख रुपये की दूसरी किस्त दी है । केन्द्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है तथा मुद्रिधियों के विकास के लिए आगामी कदम उठाये जा रहे हैं । मई-जून, 1990 के दौरान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पहले ही संचालित किया गया है ।

(ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से उनका सम्पूर्ण वचनबद्ध योगदान देने के लिए मामला उठाया है । इससे इस केन्द्र का विकास कार्य शीघ्र पुरा

होगा जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5.00 करोड़ रुपये होगी ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खर्च में कटौती

55. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खर्च में कटौती करने के सरकार के अभियान के अन्तर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खर्च में कई मदों के अन्तर्गत कटौती की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के लिए आशयित बजट में भी कटौती की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो यह कटौती किन-किन मदों के अंतर्गत की गयी है और उनका व्यौरा क्या है ; और

(घ) धनराशि में इस कटौती के कारण शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या दिक्कतें आने की सम्भावना है, उनसे कैसे निपटा जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :
(क) से (घ) जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तीनों विभागों अर्थात्— शिक्षा, संस्कृति, और युवा कार्य तथा खेल विभागों के कुल बजट में कोई कटौती नहीं की गयी है, तथापि विदेशी यात्रा पर खर्च को, पिछले वर्ष इस शीर्षक के अन्तर्गत किये गये वार्षिक खर्च के 75% तक सीमित करने का निर्णय किया गया है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की को कोटों बैठकें

56. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कोर्टों की बैठकें नहीं हुई हैं और ये बैठकें कब से नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कोर्टों की बैठकें नियमित रूप से किये जाने के लिये कोई निर्देश जारी किया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने विश्व-विद्यालयों ने इस निर्देश का पालन किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :

(क) जिन तारीखों को विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोर्ट की पिछली बैठक आयोजित की गई थी, उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं । कोर्टों की बैठकें आयोजित करना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विश्वविद्यालय का नाम वे तारीखें जब कोर्ट की पिछली बैठकें आयोजित की गई

1	2	3
1. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	.	20-4-1990
2. जामिया मिलिया इस्लामिया	.	10-7-1990
3. पांडिचेरी विश्वविद्यालय	.	24-3-1990
4. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	.	24-2-1989

1	2	3
5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	.	29-7-1990
6. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	.	15-1-1989
7. दिल्ली विश्वविद्यालय	.	19-8-1989
8. हैदराबाद विश्वविद्यालय	.	2-12-1989
9. विश्वभारती	.	17-3-1990

टिप्पणी : इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम/सविधियों में कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है ।

Meeting of AIKVTA delegation with the Chairman, KVS

57. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament have been requesting during the last six months for a meetnig of an AIKVTA delegation with the Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan to discuss demands and problems of teachers of Kendriya Vidyalyas;

(b) if so, what are the details of such requests, oral and written and the names of MPs who made these;

(c) what are the reasons for Chairman's continuous indifference thereto;

(d) whether the Chairman has now agreed to hold bilateral talks; and

(e) if so, the detailed outcome thereof?